न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर (राज०)
पीठासीन अधिकारी - श्री विश्वामित्र मीना R.A.S.

मुकदमा संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
190/2017	27.10.2017	20/11/2017

अनुवाद

[1] श्री मति लक्ष्मी पुत्री भैरवराम पत्नि सतीश जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम कान्हड़का तहसील कोटकासिम (अलवर) राज०

- वादनी

बनाम

[1] मोहनलाल पुत्र कुड़िया जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम कान्हड़का तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज०)

[2] श्री मति कमलेश पुत्री पूरण पत्नि सतबीर जाति ब्राह्मण

[3] श्री मति पुनिया पुत्री पूरण पत्नि धर्मपाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम दरायर तहसील पटौदी जिला गुडगावां (हरि०)

- असल प्रतिवादीगण

[4] राज. सरकार जरिये तहसीलदार कोटकासिम [illegible]

- तर० प्रतिवादी

दावा अं० धारा 88, 89, 53, 188 राज.टी. ऐक्ट बाबत इस्तकरारहक व दुरुस्ती इन्द्राज मय तकसीम आराजी व हुक्म इम्तनाई दवामी

वादनी ने राजस्व वाद विवादित आराजीयात ख०नं० 1915 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, 1918 रकबा 2 बीघा 07 बिस्वा, 1919 रकबा रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, 1979 रकबा 08 बिस्वा वाके ग्राम कान्हड़का तहसील कोटकासिम दिनांक 6.1.2002 को पेश किया जिसे राजो. नं. 1/529/02 पर दर्ज किया गया। वादिनी द्वारा प्रस्तुत वाद में उल्लेखित तथ्यों का खुलासा करते हुए दिनांक 13.8.2004 को इस प्रकार डिक्री किया कि वादिया उसके जिम्मे की तनकीयात साबित

लगातार

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

करायी है प्रतिवादी अपने जिम्मे की तनकी सं. 4 साबित नहीं कर पाये है। वादिया ने राजस्व रिकार्ड से विवादित आराजी 1915 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा के 1/2 हिस्सा का खातेदार होना प्रमाणित किया है। अतः उसे 1/2 हिस्से का तथा प्रतिवादी सं. 1 को 1/4 हिस्से व प्रतिवादी सं. 2 व 3 को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। अन्य विवादित आराजी 1918, 1919, 1979 बाबत दावा साबित नहीं हुआ है। आराजी 1915 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा के मौके पर उक्त हिस्से अनुसार - विभाजन का प्रस्ताव तहसीलदार से मंगवाये जावे। इस निर्णय से व्यथित होकर श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी अलवर के यहाँ दो अपील दायर की गई। नम्बर-1 अपील सं. 3/2008 श्रीमति लक्ष्मी बनाम मोहनलाल वगैरा, नम्बर-2 अपील सं. 4/2008 अनुवान कमलेश बनाम लक्ष्मी वगैरा दायर की। श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी महोदय अलवर ने अपने दोनों निर्णय एक साथ कर विस्तृत निर्णय दिनांक 25.2.2008 को अपील सं. 3/2008 अनुवान लक्ष्मी बनाम मोहनलाल को आंशिक स्वीकार करते हुए उपन्यायालय के आदेश दिनांक 13.8.2004 का निर्णय ख.नं. 1919 की सीमा तक निरस्त किया जाकर वादनी लक्ष्मी को ख.नं. 1919 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम कान्हड़का का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने व शेष निर्णय व डिक्री ख.नं. 1918, 1979 बदस्तूर बहाल रखे जाने व अपील सं. 4/2008 को निरस्त किये जाने व ख.नं. 1915 एवं 1919 में कुर्रेजात प्रस्त कर अंतिम डिक्री पारित करने के आदेश जारी किये गये।

श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी महोदय अलवर के निर्णय दिनांक 25.2.2008 से व्यथित होकर श्रीमति कमलेश व प्रमिला ने माननीय न्यायालय राजस्व मंडल राज. अजमेर के यहाँ अपील डिक्री टी.ए. संख्या 7173. 2008 अनुवान

लगातार.

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (अलवर)

श्री मति कमलेश बनाम श्री मति लक्ष्मी वगैरह की जो दिनांक 13.9.2017 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की गई।

इस न्यायालय की मूल पत्रावली माननीय न्यायालय राजस्व मंडल श्री. अजमेर के निर्णय के उपरांत दिनांक 16.10.2017 को प्राप्त हुई। अनुवान लक्ष्मी बनाम मोहनलाल पत्रावली में इस न्यायालय के आदेश दिनांक 13.8.2004 एवं श्री मान न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अलवर के निर्णय पारित दिनांक 25.2.2008 की पालना में प्राप्त हुई।

मूल वाद पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.8.2004 एवं श्रीमान न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 25.2.2008 की पालना में दिनांक 16.10.2017 को प्रकरण में तहसीलदार कोटकासिम को कुर्रे कायम कर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के लिए लिखा गया। तहसीलदार कोटकासिम ने विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में प्रस्तुत किये।

तहसीलदार कोटकासिम द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर गौर किया गया। आराजी ख.नं. 1915 में वादनी लक्ष्मी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया था। जिसको वादनी लक्ष्मी बेच कर चुकी है। शेष ख.नं. 1919 रकबा 0.66 हैक्टर का एकपुर्ण खातेदार घोषित किया है।

अतः वादनी का वाद मुताबिक विभाजन प्रस्ताव लक्ष्मी पुत्री भेरूराम पत्नि सतीश जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम कलवड़ा तहसील कोटकासिम का ख.नं. 1919 रकबा 0.66 हैक्टयर का खातेदार घोषित किया जाता है। जिसका लगान 10.50 रुपये है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

निर्णय आज दिनांक 20/11/2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner